



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1943 (श10)
(सं0 पटना 705) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
27 जुलाई 2021

सं0 2/आ0-70-05/2021-5097/गृ0आ0—श्री पंकज कुमार रावत, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, सरकारी आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक के रूप में राज्य के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलाप में संलिप्त होने जैसे गंभीर आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

02. निलंबन की अवधि में श्री पंकज कुमार रावत, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना रहेगा।

03. निलंबन की अवधि में श्री पंकज कुमार रावत, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

04. निलंबन की अवधि में श्री पंकज कुमार रावत, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

05. सक्षम प्राधिकार से प्राप्त आदेश के आलोक में श्री पंकज कुमार रावत, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 705-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>